रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-301/2024/1837/22-2-2023-17(762)/2023
लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजितराम वर्मा (बन्दी संख्या-1033/2007) पुत्र श्री रामसुख वर्मा, निवासी ग्राम-माधवपुर, थाना-गोसाईगंज, जनपद-सुल्तानपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-319/1999 में भा0द0वि0 की धारा-363, 364ए, 368 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-04 लखनऊ के आदेश दिनांक 27.09.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.07.2022 तक 17 वर्ष 03 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी का संतोषजनक जेल आचरण तथा पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-301/2024/1837(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।**
3- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
8- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in